

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
--: मंत्रालय :-
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 2104 / पी.एफ.एम.एस. / सी.एस.एस. / ब-4 / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/22
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़


- विषय :- केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत एस.एन.ए. मार्किंग किये गये योजनाओं में राशि का कोषालय से आहरण केवल एस.एन.ए. खाते में किये जाने बाबत।
- संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक/1129/पी.एफ.एम.एस./सी.एस.एस./ब-4/चार, दिनांक 01.06.2022

-----000-----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत एस.एन.ए. मॉडल में सही रिपोर्टिंग हेतु योजनाओं की राशि का आहरण एस.एन.ए. खाते में किया जाना आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि एस.एन.ए. मार्किंग किये गये समस्त योजनाओं की राशि का संबंधित एस.एन.ए. द्वारा कोषालय से आहरण केवल एस.एन.ए. खाते में करना सुनिश्चित किया जावे। यदि किसी विभाग के डी.डी.ओ. द्वारा किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि एस.एन.ए. खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते में आहरित/अंतरित की जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जाएगी।

2- वर्तमान में कार्य विभागों (लोक निर्माण विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जलसंसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) द्वारा अपने-अपने e-Works/FDS प्लेटफार्म पर राशि का आहरण किया जा रहा है। चूंकि PFMS Treasury Integration के माध्यम से आहरण की जानकारी नियमित रूप से केन्द्रीय PFMS को भेजा जाना आवश्यक है, अतः उक्त कार्य विभागों द्वारा एस.एन.ए. मॉडल में संचालित योजनाओं की राशि का आहरण कोषालय के माध्यम से एस.एन.ए. खाते में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु Treasury Module में योजनाओं में चिन्हांकन के लिए संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन से समन्वय कर आगामी कार्यवाही की जावे।

3- उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


(ऋषभ पाराशर)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 2105 / पी.एफ.एम.एस. / सी.एस.एस. / ब-4 / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/22
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ ।
6. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
7. संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी.एफ.एम.एस., राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ ।
8. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाईट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।



(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग